

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

गणित सदन / Computer Centre
विश्वभारती / Visva-Bharati
सारांश सं./Docket No. 1367...
तिथि/Date 28-1-20

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि गठित संबंधित समिति की दिनांक 22.12.2019 को आयोजित बैठक की संस्तुति के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के अस्थायी अनियत मजदूरों के हित में निम्नलिखित अनुमोदन किया गया है।

1. नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश पर अस्थायी अनियत मजदूर को साठ वर्ष की आयु के पश्चात् एक बार में 6 महीने के लिए सेवा विस्तार के साथ 62 वर्ष की आयु तक पुनः नियुक्त किया जा सकता है।
2. पुनः नियुक्ति की अवधि में अस्थायी अनियत मजदूर को उनके अंतिम वेतन (महंगाई भत्ता के साथ एवं बिना वेतनवृद्धि) के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाएगा।

यह तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

मेमो नं. प्रशा./जी/जी-15/1034

दिनांक : 21.01.2020

हस्ता./-

उप कुलसचिव (प्रशासन)

विश्वभारती

प्रतिलिपि :

1. सभी निदेशक एवं भवन/विभाग अध्यक्ष
2. सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग/केंद्र/कार्यालय के प्रधान
3. वित्त अधिकारी - से अनुरोध है कि इसे वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
4. प्रोक्टर
5. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
6. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
7. उप कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
8. हिंदी अधिकारी - हिंदी अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
9. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. कुलसचिव के निजी सहायक
11. अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग)
12. फाइल

हस्ता./-

उप कुलसचिव (प्रशासन)

विश्वभारती